

## कार्यालय ज्ञाप

पुलिस उपायुक्त जोन वरुणा कमि० वाराणसी की रिपोर्ट दि० 24.10.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि थाना सारनाथ में पंजीकृत मु०अ०सं० 389/2025 धारा 103(1),3(5),61(2),238 बीएनएस व 3(ii)v SC/ST Act थाना सारनाथ कमि० वाराणसी से सम्बन्धित अभि० बनारसी यादव पुत्र राजनाथ उर्फ झोटा यादव नि० गौरहट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर व अरविन्द यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू यादव पुत्र सन्तू प्रसाद नि० ग्राम सिमरा फैज थाना महाराजपुर जनपद गाजीपुर जो वांछित चल रहा है, जिसके सम्भावित पतों पर दविश दी जा रही है किन्तु अभि० दस्तोयाब नहीं हो रहा है जो काफी शातिर किस्म के है। तथा घोषित पुरस्कार की धनराशि बढ़ाये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में पुलिस उपायुक्त जोन वरुणा कमि० वाराणसी द्वारा थानाध्यक्ष सारनाथ कमि० वाराणसी की रिपोर्ट पर रू० 25000/- (रू० पच्चीस हजार) व अपर पुलिस आयुक्त अपराध द्वारा रू० 50000/- (रू० पचास हजार) का पुरस्कार घोषित किया गया है, अभियुक्तगण अब तक दस्तोयाब नहीं हो सके हैं। उक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की धनराशि और बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः पुलिस रेगुलेशन के पैरा 464 (क) में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्न कुख्यात अपराधी को, जो बन्दी बनाएगा या बन्दी बनाने के लिए सही सूचना देगा या बन्दीकरण का विरोध किये जाने पर आवश्यक बल प्रयोग करके जो बन्दी करेगा या कराएगा, उसे अपराधी के नाम के सम्मुख अंकित पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।

2- यदि यह अपराधी मुठभेड़ में मारा जाता है तो यह पुरस्कार जाँच कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकृत किया जायेगा।

3- यदि इस अपराधी पर उच्चाधिकारी/शासन द्वारा पुरस्कार घोषित किया जाता है तो मेरे द्वारा घोषित पुरस्कार स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

| क्र० सं | नाम पता अपराधी                                                                                             | वांछित अभियोग                                                                                   | घोषित पुरस्कार |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.      | बनारसी यादव पुत्र राजनाथ उर्फ झोटा यादव नि० गौरहट थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।                                | मु०अ०सं० 389/2025 धारा 103(1),3(5),61(2),238 बीएनएस व 3(ii)v SC/ST Act थाना सारनाथ कमि० वाराणसी | One lac only   |
| 2.      | अरविन्द यादव उर्फ फौजी उर्फ कल्लू यादव पुत्र सन्तू प्रसाद नि० ग्राम सिमरा फैज थाना महाराजपुर जनपद गाजीपुर। |                                                                                                 | one lac only   |

संख्या: डीसीआरबी-पु०घो०अप०-(सारनाथ)/2025

दिनांक: 01/11/2025

  
 (मोहित अग्रवाल)

पुलिस आयुक्त,  
 कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध उ०प्र० लखनऊ।
3. पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ/गौतम बुद्धनगर/कानपुर/प्रयागराज/गाजियाबाद/आगरा।
4. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०/परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ जनपदों का अवगत कराने का कष्ट करें।
6. पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को 03 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि गजट में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
7. अपर पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/मुख्यालय) कमिश्नरेट वाराणसी।
8. अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट वाराणसी।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख व्यूरो लखनऊ उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. पुलिस उपायुक्त (वरुणा / काशी / अपराध / गोमती जोन) कमिश्नरेट वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त (काशी / वरुणा / गोमती जोन) कमिश्नरेट वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष (काशी / वरुणा / गोमती जोन) कमिश्नरेट वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।